

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 712
(7 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गरीबी उपशमन योजनाएं

712. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों, विशेषकर असम, को स्वीकृत/जारी की गई और उनके द्वारा उपयोग की गई निधि का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत क्या उपलब्धि हासिल की गई है;

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) और अल्पसंख्यक समुदायों के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय, असम राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण विकास करने तथा गरीबी का उपशमन करने के उद्देश्य से अनेक कल्याणकारी योजनाएं अर्थात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक

(डब्ल्यूडीसी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत असम सहित राज्य-वार स्वीकृत/जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत 101,773.98 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत 21,81,421 स्व-सहायता समूह बनाए गए , 2,30,85,196 परिवारों को एसएचजी में शामिल किया गया , 101.38 लाख महिला किसानों को शामिल किया गया और स्टार्ट अप वहिकल एंटरप्राइज कार्यक्रम के अंतर्गत 1,52,878 उद्यमों को सहायता दी गई। इसके अलावा , एसएचजी को 910409.3 लाख रुपए का आरएफ और सीआईएफ जारी किया गया तथा 275866.26 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित किए गए। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 97,67,984 मकान बनाए गए। डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत 3,82,472 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और 2,45,389 को रोजगार दिया गया तथा आरएसईटीआई के अंतर्गत 9,53,280 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और 7,23,308 को रोजगार दिया गया। एसपीएमआरएम के अंतर्गत स्वीकृत 300 क्लस्टरों में से 291 क्लस्टर विकास के विभिन्न चरणों में हैं। एनएसएपी के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 2,93,07,301 लाभार्थियों को, वर्ष 2020-21 में 2,96,42,865 लाभार्थियों को और वर्ष 2021-22 में 2,98,67,336 लाभार्थियों को शामिल किया गया। इसी तरह उक्त अवधि के दौरान पीएमकेएसवाई के डब्ल्यूडीसी के अंतर्गत 1,77,606 जल संचयन संरचना का निर्माण/जीर्णोद्धार किया गया , 10,41,032 किसान लाभान्वित हुए और 2,19,69,500 रोजगार श्रम दिवस सृजित किए गए।

(ग): उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय, जहां कहीं लागू है , भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 20,100.44 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18,552.79 श्रम दिवस सृजित किए गए। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत 2020-21 से 31.12.2022 तक 40,29,416 अनुसूचित जाति के परिवारों , 21,39,809 अनुसूचित जाति के परिवारों और 2,54,260 अल्पसंख्यक परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए कुल 67,58,762 मकान स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 49,79,577 मकान बनाए जा चुके हैं ; अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 60,99,737 मकान स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 44,37,676 मकान बनाए जा चुके हैं और अल्पसंख्यकों के लिए 34,65,154 मकान स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 27,78,508 मकान बनाए जा चुके हैं (02.02.2023 की स्थिति के अनुसार)। डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 149427 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और 82303 को रोजगार दिया गया ; अनुसूचित जनजाति के 92947 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और 55017 को रोजगार दिया गया और 76107

अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण और 40190 को रोजगार दिया गया। आरएसईटीआई के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 232048 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और 171996 को रोजगार दिया गया ; अनुसूचित जनजाति के 127186 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और 91739 को रोजगार दिया गया तथा 112499 अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण और 79628 को रोजगार दिया गया। वर्ष 2021-22 से पहले एनएसएपी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए अलग से कोई निधियां आवंटित और जारी नहीं की जाती थीं। वर्ष 2021-22 से अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का निर्धारण किया गया और उनके लिए अलग निधियां आवंटित की गईं। अतः एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2021-22 और 2022-23 में इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	अनुसूचित जाति के लाभार्थी	अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी
2021-22	5662755	2989377
2022-23	5465504	2896172

पीएमजीएसवाई कोई व्यक्ति/समुदाय केंद्रित योजना नहीं है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कें समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता को पूरा करती हैं। फिर भी , विशेष छूट देकर इस योजना में अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जहां तक पीएमकेएसवाई के डब्ल्यूडीसी का संबंध है कुल बजट आवंटन में से 10 प्रतिशत जनजातीय उप योजना के अंतर्गत और 16.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत जारी किया जाता है। चूंकि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई वर्षा सिंचित/अवक्रमित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसलिए परियोजना क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों , अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी लोग इससे लाभान्वित होते हैं।

(घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी सभी ग्रामीण विकास योजनाओं के उचित कार्यान्वयन पर बल देता है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण गरीबों तक पहुंचता है, मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय एवं विविध स्वरूप वाली प्रणाली विकसित की है जिसमें निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठकें , राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता, क्षेत्र अधिकारी योजना , साझा समीक्षा मिशन , समवर्ती मूल्यांकन एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शामिल हैं। कुछ योजनाओं जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना और महात्मा गांधी नरेगा की लेखा परीक्षा भी की जाती है। योजनाओं की तीसरे पक्ष से नियमित मूल्यांकन भी कराया जाता है और निष्कर्षों पर यथोचित कार्रवाई की जाती है। उपर्युक्त के अलावा , एमआईएस के लिए अंतरण आधारित आईटी प्रणालियों का उपयोग करके पारदर्शिता और

जवाबदेही बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं जिसमें परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग , प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली , आधार आधारित भुगतान प्रणाली , रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का प्रयोग करते हुए अनुमान गणना के लिए सॉफ्टवेयर (सिक्वोर) और स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों की स्थापना एवं लोकपाल की नियुक्ति शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समय-समय पर राज्य विशिष्ट समीक्षाएं भी की जाती हैं।

लोक सभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं.712
के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान असम सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत/जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	720472.46	1030509.79	718267.16
2	अरुणाचल प्रदेश	21020.01	34027.69	45374.43
3	असम	168752.49	260233.46	222026.01
4	बिहार	325093.78	728423.57	540736.96
5	छत्तीसगढ़	264031.92	394347.98	389433.98
6	गोवा	216.76	356.91	3.81
7	गुजरात	74758.23	147812.01	161524.32
8	हरियाणा	33812.58	76355.62	72267.99
9	हिमाचल प्रदेश	59748.12	94833.37	97575.08
10	जम्मू एवं कश्मीर	118370.31	115231.99	95013.74
11	झारखंड	127292.89	342408.42	306382.91
12	कर्नाटक	546271.17	550099.46	602807.73
13	केरल	352016.95	428677.68	355193.00
14	मध्य प्रदेश	471894.15	908672.51	847908.76
15	महाराष्ट्र	167066.42	160025.70	205645.71
16	मणिपुर	61074.66	130673.85	56310.74
17	मेघालय	102443.59	128416.59	112166.07
18	मिजोरम	52507.57	59045.38	54891.55
19	नागालैंड	33044.70	48382.14	56945.51
20	ओडिशा	243278.38	521529.26	568015.17
21	पंजाब	74886.26	123913.55	125759.36
22	राजस्थान	726747.87	892076.25	986774.85
23	सिक्किम	8269.34	11016.55	11241.97
24	तमिलनाडु	555969.31	878881.54	963813.22
25	तेलंगाना	222132.13	411121.10	410519.85
26	त्रिपुरा	73113.77	119498.53	98888.29
27	उत्तर प्रदेश	601701.90	1201410.42	850956.51

28	उत्तराखंड	45580.30	88626.63	64203.24
29	पश्चिम बंगाल	850761.08	1145405.21	750780.15
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	583.78	485.89	763.16
31	लक्षद्वीप	23.82	0.00	30.05
32	पुदुचेरी	1691.87	2683.69	1307.28
33	लद्दाख	0.00	0.00	5904.39
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
	कुल	71,04,628.56	1,10,35,182.74	97,79,432.94

2. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20				2020-21			
		केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज		व्यय	कुल केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज		व्यय
			एनआरएलएम	एनआरएलएम			एनआरईटीपी	एनआरएलएम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	11924.13	16652.51	0.00	7024.24	13447.79	20171.69	0.00	42524.05
2	बिहार	48627.99	48627.97	7997.63	63026.63	54841.65	80863.18	12169.61	96283.46
3	छत्तीसगढ़	10800.58	10763.97	2273.60	20199.77	12180.67	12180.67	7085.60	17188.20
4	गोवा	400.00	200.00	0.00	213.49	400.00	400.00	0.00	578.96
5	गुजरात	7694.51	7694.51	457.20	9599.35	8677.71	12795.16	324.72	15395.26
6	हरियाणा	4526.82	3997.97	0.00	6337.86	5105.26	5105.26	0.00	5960.05
7	हिमाचल प्रदेश	1906.41	1454.79	0.00	1186.94	2150.01	1612.51	0.00	1743.49
8	जम्मू और कश्मीर	2359.46	2299.09	0.00	3276.18	2660.95	11527.18	0.00	6763.38
9	झारखंड	18335.62	24828.75	3248.00	27427.76	20678.53	25808.53	5408.00	45215.93
10	कर्नाटक	15436.13	9571.50	974.40	18889.23	17408.55	25664.59	722.40	30429.00
11	केरल	6926.15	3463.08	0.00	5562.97	7811.16	7811.16	0.00	13158.00
12	मध्य प्रदेश	23237.89	23237.89	2590.80	26450.73	26094.44	19570.83	1023.40	37000.00
13	महाराष्ट्र	30513.46	30513.46	3891.31	47101.45	34412.45	17206.23	1444.80	27841.00
14	ओडिशा	23380.72	30686.99	3248.00	48916.06	26368.30	38907.04	2408.00	63825.20
15	पंजाब	2199.98	1099.99	0.00	2676.01	2481.10	1860.83	0.00	3361.22
16	राजस्थान	11721.17	8587.33	1371.60	15273.02	13218.89	13218.89	1476.87	22848.37

17	तमिलनाडु	18074.67	23260.01	909.15	27190.73	20384.24	28924.96	1204.00	50309.00
18	तेलंगाना	8517.24	6525.19	0.00	8693.71	9605.57	9605.57	0.00	9449.99
19	उत्तर प्रदेश	70008.07	51115.11	2286.00	91742.22	78953.66	78856.92	1806.00	135248.63
20	उत्तराखंड	3685.97	4643.32	0.00	5354.48	4156.96	4618.84	0.00	5348.24
21	पश्चिम बंगाल	25983.03	31911.65	3572.80	45090.87	29303.11	29303.11	6219.80	42512.28
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	200.00	200.00	0.00	104.02	300.00	300.00	0.00	244.24
23	दमन और दीव	200.00	100.00	0.00	10.75				
24	दादरा और नगर हवेली	200.00	0.00	0.00	9.35	400.00	200.00	0.00	56.10
25	लक्षद्वीप	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	28.52
26	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
27	पुदुचेरी	600.00	558.13	0.00	451.94	700.00	700.00	0.00	787.77
	कुल	347660.00	341993.21	32820.49	481809.76	392141.00	447413.15	41293.20	674100.34
उत्तर पूर्वी राज्य									
28	अरुणाचल प्रदेश	5597.11	5181.12	0.00	3231.99	7601.95	5218.39	0.00	4829.50
29	असम	20781.78	24015.56	762.00	24566.82	21687.67	26004.66	900.78	26634.03
30	मणिपुर	5447.25	2723.63	0.00	1418.98	5609.34	2804.67	0.00	2748.27
31	मेघालय	8710.17	6295.40	0.00	7346.76	11729.19	11729.20	0.00	9255.17
32	मिजोरम	9588.20	7343.47	0.00	5095.00	10004.73	5002.37	0.00	2241.42
33	नागालैंड	12853.08	9736.11	0.00	6862.53	13544.04	6772.02	0.00	5877.84
34	सिक्किम	2948.06	1092.34	0.00	736.61	3922.88	980.72	0.00	1320.94
35	त्रिपुरा	15705.14	10434.88	0.00	6531.48	16405.20	16405.20	0.00	13443.23
	कुल	81630.79	66822.51	762.00	55790.17	90505.00	74917.23	900.78	66350.40
	कुल	429290.79	408815.72	32820.49	537599.93	482646.00	522330.38	42193.98	740450.74

2021-22			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज

		एनआरएलएम	एनआरएलएम	एनआरईटीपी	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	25166.83	12583.42	0.00	14466.77
2	बिहार	102633.22	102633.22	9540.00	168410.35
3	छत्तीसगढ़	22795.48	22795.48	2679.00	40235.32
4	गोवा	700.00	350.00	0.00	711.56
5	गुजरात	16239.87	12068.42	600.00	20054.45
6	हरियाणा	9554.21	2388.55	0.00	6486.62
7	हिमाचल प्रदेश	4023.63	4023.63	0.00	4321.15
8	जम्मू और कश्मीर	14668.93	11001.70	0.00	13934.91
9	झारखंड	38698.78	38698.78	3441.90	66957.66
10	कर्नाटक	32579.18	24434.39	1085.80	41687.74
11	केरल	14618.18	7309.10	0.00	14297.70
12	मध्य प्रदेश	48834.35	24417.18	1500.00	43572.10
13	महाराष्ट्र	51618.68	25809.34	2390.02	30962.78
14	ओडिशा	49346.87	61683.59	4500.00	86859.54
15	पंजाब	4643.24	2321.62	0.00	3164.70
16	राजस्थान	24738.45	24738.45	860.23	35429.45
17	तमिलनाडु	38148.01	38148.01	1350.00	55922.17
18	तेलंगाना	17976.30	4494.08	0.00	11758.40
19	उत्तर प्रदेश	147757.57	147566.36	1500.00	216759.36
20	उत्तराखंड	7779.53	7620.73	0.00	6516.64
21	पश्चिम बंगाल	54839.23	41129.43	7200.00	67327.96
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	600.00	450.00	0.00	357.91
23	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	400.00	100.00	0.00	222.58
24	लक्षद्वीप	200.00	100.00	0.00	65.58
25	लद्दाख	1320.00	330.00	0.00	226.04
26	पुदुचेरी	1000.00	500.00	0.00	569.81
	कुल	730880.54	617695.45	36647.20	951279.25
उत्तर पूर्वी राज्य					

27	अरुणाचल प्रदेश	8289.42	4144.71	0.00	5942.31
28	असम	34298.66	34298.66	2025.00	31316.37
29	मणिपुर	10273.53	2568.38	0.00	3710.81
30	मेघालय	14375.43	7187.72	0.00	10623.70
31	मिजोरम	10540.55	2635.14	0.00	6667.63
32	नागालैंड	17118.28	4279.57	0.00	8556.18
33	सिक्किम	4431.85	1079.84	0.00	1523.02
34	त्रिपुरा	17364.21	8682.11	0.00	19226.00
	कुल	116691.93	64876.13	2025.00	87566.02
	कुल योग	847572.47	682571.58	38672.20	1038845.27

3. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण

(रुपए करोड में)

क्र.सं.	राज्य	जारी केंद्रीय रिलीज	उपयोग*
1	अरुणाचल प्रदेश	104.8535	23.066604
2	असम	8708.506613	5511.518866
3	बिहार	14669.12233	24224.74502
4	छत्तीसगढ़	869.669995	2005.125524
5	गोवा	0	1.698
6	गुजरात	1265.6304	2186.830359
7	हरियाणा	34.55281	93.886659
8	हिमाचल प्रदेश	43.587175	78.533058
9	जम्मू एवं कश्मीर	986.97945	1240.138
10	झारखंड	6999.18176	11384.59719
11	केरल	0	103.720266
12	मध्य प्रदेश	11367.34978	16291.71195
13	महाराष्ट्र	4375.226489	6362.083759
14	मणिपुर	116.202906	133.180185
15	मेघालय	303.80861	316.01744
16	मिजोरम	58.079127	51.459614
17	नागालैंड	34.80584	37.812479
18	ओडिशा	6031.07655	11139.24633
19	पंजाब	67.5264	155.842026
20	राजस्थान	5447.390325	8935.050069

21	सिक्किम	1.223222	0.708
22	तमिलनाडु	1495.0713	2338.392389
23	त्रिपुरा	1711.61702	1419.763404
24	उत्तर प्रदेश	9703.54277	16067.47148
25	उत्तराखंड	149.17743	145.354987
26	पश्चिम बंगाल	15474.38075	24317.24753
27	अंडमान और निकोबार	16.879548	11.516418
28	दादरा और नगर हवेली	55.98	78.64
29	दमन और दीव	0	0
30	लक्षद्वीप	0	0.363
31	पुदुचेरी	0	0
32	आंध्र प्रदेश	0	0
33	कर्नाटक	309.6	0
34	तेलंगाना	0	0
35	लद्दाख	0	0
	कुल	90401.02208	134655.7206

* राज्य अंश सहित

4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केंद्रीय निधि (रुपए करोड़ में)			किए गए व्यय में राज्य अंश शामिल है (रुपए करोड़ में)		
		2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार	0	0	9.215	0	3.78	5.45
2	आंध्र प्रदेश	476.27	53.2	50	338.84	396.75	508.86
3	अरुणाचल प्रदेश	1123	952.31	1090.6	1270.03	1429.61	1279.07
4	असम	2401.88	2516.62	1591.5	3628.93	2600.19	2488.03
5	बिहार	286.7	49.13	374.9975	1552.37	2173.52	1993.13
6	छत्तीसगढ़	1614.6	924.48	394.41	1159.7	1985.94	1902.34
7	गोवा	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	0	79.08	195.5	29.35	133.32	400.16
9	हरियाणा	16.03	0	353.23	0.48	92.1	583.12
10	हिमाचल प्रदेश	1284.89	745.24	517.45	724.34	1061	933.22
11	जम्मू और कश्मीर	695.5	1727.3	1328.34	1324.12	932.37	1485.28

12	झारखंड	214.41	293.5	0	1312.94	1083.34	598.44
13	कर्नाटक	534.24	49.29	704.25	1.1	728.4	1499.18
14	केरल	48.64	89.97	0	122.18	71.66	49.91
15	मध्य प्रदेश	1308.97	1099.54	1392.13	1799.47	2166.99	2419.14
16	महाराष्ट्र	150	0	0	207.12	212.09	376.73
17	मणिपुर	263.85	420.66	742	487.23	605.77	718.36
18	मेघालय	357	355.29	483.92	289.79	473.71	536.92
19	मिजोरम	576.06	1.59	74.34	285.18	277.32	332.86
20	नागालैंड	88.89	72.89	145.31	70.8	144.7	125.83
21	ओडिशा	798.11	774.29	437.5	2489.91	1754.13	1796.50
22	पंजाब	0	0	68.59	32.1	2.67	295.14
23	पुदुचेरी	0	0	11.65	0	0	0
24	राजस्थान	184.74	237.15	917.50	289.11	492.13	1452.62
25	सिक्किम	4.39	195.5	107.28	175.11	178.52	177.89
26	तमिलनाडु	308.46	265.38	440	799.29	626.92	1169.56
27	तेलंगाना	267.38	0	86.63	289.44	288.59	410.8
28	त्रिपुरा	10.64	69.57	73.88	95.36	99.13	203.44
29	उत्तर प्रदेश	78.07	123.9	1418.55	356.63	440.19	2074.26
30	उत्तराखंड	554.9	1536.27	787	1080.48	1493.5	1218.45
31	पश्चिम बंगाल	348.25	969.31	49.94	1512.52	1471.94	701.28
32	लद्दाख	0	50	140.785	0	514.73	109.66
	कुल	13,995.87	13,651.46	13,952.86	21,723.90	23,935	27,842.63

5. दीन दयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल्य योजना

डीडीयू-जीकेवाई (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार) के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राज्य-वार और वर्ष-वार निधि

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.00	798.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	7910.93	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1333.50	0.00
4	असम	10433.00	1328.40	313.78
5	बिहार	0.00	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़	13913.07	60.00	91.47

7	गोवा	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	8205.60	0.00	0.00
9	हरियाणा	308.46	1318.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	2583.90	69.30	74.23
11	जम्मू और कश्मीर	23376.59	0.00	117.47
12	झारखंड	0.00	4171.27	0.00
13	कर्नाटक	0.00	0.00	96.72
14	केरल	0.00	16381.56	0.00
15	मध्य प्रदेश	11558.00	319.33	0.00
16	महाराष्ट्र	21925.00	0.00	0.00
17	मणिपुर	4468.79	0.00	0.00
18	मेघालय	2161.35	143.90	70.30
19	मिजोरम	237.00	552.50	0.00
20	नागालैंड	285.35	3727.80	0.00
21	ओडिशा	16616.31	4135.00	0.00
22	पुदुचेरी	922.20	14.00	47.49
23	पंजाब	8073.50	0.00	0.00
24	राजस्थान	0.00	9714.81	0.00
25	सिक्किम	1566.90	43.35	0.00
26	तमिलनाडु	7698.00	5079.00	0.00
27	तेलंगाना	21597.00	108.00	0.00
28	त्रिपुरा	0.00	772.94	58.49
29	उत्तर प्रदेश	765.00	48834.50	0.00
30	उत्तराखंड	8712.40	5668.14	0.00
31	पश्चिम बंगाल	11248.39	125.95	0.00
	कुल	184569.73	104699.24	869.95

6. ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान

आरएसईटीआई (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार) के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राज्यवार और वर्षवार निधि

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	22.21
2	आंध्र प्रदेश	128.18	391.83	0.00

3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
4	असम	75.80	64.76	0.00
5	बिहार	401.30	102.58	644.10
6	छत्तीसगढ़	0.00	147.22	0.00
7	दादरा और नगर हवेली	0.00	45.24	0.00
8	गुजरात	327.85	322.72	0.00
9	हरियाणा	241.97	0.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	402.69	0.00
12	झारखंड	180.33	403.75	430.07
13	कर्नाटक	263.19	723.46	0.00
14	केरल	216.27	162.48	0.00
15	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
16	मध्य प्रदेश	1277.06	600.40	3542.63
17	महाराष्ट्र	237.85	1074.94	0.00
18	मणिपुर	21.09	8.21	0.00
19	मेघालय	21.35	9.69	0.00
20	मिजोरम	0.00	19.81	0.00
21	नागालैंड	8.13	6.70	0.00
22	ओडिशा	235.65	581.34	588.07
23	पुदुचेरी	19.94	0.00	0.00
24	पंजाब	64.28	193.10	305.05
25	राजस्थान	368.80	436.86	0.00
26	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
27	तमिलनाडु	552.56	528.35	0.00
28	तेलंगाना	134.90	795.20	0.00
29	त्रिपुरा	22.91	67.31	0.00
30	उत्तर प्रदेश	156.55	836.72	2852.93
31	उत्तराखंड	0.00	298.34	0.00
32	पश्चिम बंगाल	113.20	113.29	0.00
	कुल	5069.16	8336.99	8385.06

7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

क्र.स.	राज्य/संघ	2019-2020	2020-2021	2021-
--------	-----------	-----------	-----------	-------

	राज्य क्षेत्र					22	
		रिलीज (लाख में)	लाभार्थियों की सं.	रिलीज (लाख में)	लाभार्थियों की सं.	रिलीज (लाख में)	लाभार्थियों की सं.
1	आंध्र प्रदेश	31777.20	997921	30936.37	997921	23349.60	997921
2	बिहार	122968.09	3867270	124783.96	3867270	127828.22	3959782
3	छत्तीसगढ़	28985.59	889272	15790.69	896519	27767.02	906080
4	गोवा	0.00	2706	0.00	2706	0.00	11959
5	गुजरात	21079.68	735025	27356.08	857543	18757.13	865730
6	हरियाणा	12273.36	331423	4617.14	331423	0.00	329496
7	हिमाचल प्रदेश	4570.82	115191	4737.73	115191	1230.18	115338
8	जम्मू और कश्मीर	2381.57	153944	2457.78	139932	3809.72	150152
9	झारखंड	27161.20	1357937	28902.03	1359831	47174.11	1357739
10	कर्नाटक	52046.56	1416722	52523.44	1416757	49417.07	1413400
11	केरल	11283.03	729591	28859.28	729591	0.00	729591
12	मध्य प्रदेश	57554.51	2236789	70662.25	2236789	60060.69	2236789
13	महाराष्ट्र	33529.98	1311372	34099.89	1338693	29587.97	1359210
14	ओडिशा	66122.22	2116519	62169.75	2120601	65363.21	2101948
15	पंजाब	3286.43	143077	4738.27	126569	1113.73	137904
16	राजस्थान	31141.14	1047628	32929.06	1069320	9377.69	1168697
17	तमिलनाडु	57808.97	1899533	32721.28	1899533	84192.43	1934987
18	तेलंगाना	10548.29	712596	32368.04	713193	10751.78	713193
19	उत्तर प्रदेश	154363.31	5330465	154573.51	5483086	161741.71	5485153
20	उत्तराखंड	5055.82	219917	11353.99	219917	5108.75	239758
21	पश्चिम बंगाल	85595.60	2219580	65171.15	2220205	46119.35	2202448
उत्तर पूर्वी राज्य							
22	अरुणाचल प्रदेश	0.00	8025	0.00	36325	0.00	8480
23	असम	29088.34	874816	30341.53	875563	29622.26	858254
24	मणिपुर	1914.50	65961	3163.38	66545	523.90	66577
29	मेघालय	1386.62	58488	2069.72	66329	1113.90	69034
26	मिजोरम	1053.19	28735	1062.20	28503	534.94	28645
27	नागालैंड	2092.69	52345	2131.22	52345	1594.05	52345
28	सिक्किम	581.25	19467	931.77	19467	0.00	19479

29	त्रिपुरा	6778.33	145197	1388.42	135416	2819.44	124509
	उप योग	862428.29	29087512	862839.92	29423083	808958.85	29644598
संघ राज्य क्षेत्र							
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	6574	119.90	1240	0.00	1241
31	चंडीगढ़	0.00	3935	0.00	3935	0.00	3935
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	11521	0.00	11441	0.00	11487
33	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	5271.28	166746	2939.36	166746	5664.20	168831
34	लद्दाख			114.36	7406	0.00	6959
35	लक्षद्वीप	0.00	393	0.00	375	0.00	375
36	पुदुचेरी	1273.35	30620	1146.84	28639	599.42	29910
	उप योग	6544.63	219789	4320.46	219782	6263.62	222738
	अन्य	266.84		1500.00			
	कुल	869239.76	29307301	868660.38	29642865	815222.47	29867336

8. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

क. एसपीएमआरएम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी निधियां

(रूप करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00000
2	आंध्र प्रदेश	0.00	24.30	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	4.05	2.70	0.00
4	असम	20.25	0.00	0.00
5	बिहार	21.60	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़	27.00	36.00	3.27000

7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3.108	0.00	0.00
8	गोवा	0.00	0.00	0.00
9	गुजरात	0.00	25.70	0.00
10	हरियाणा	0.00	17.87	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	0.00	4.722	0.00
12	जम्मू और कश्मीर	8.10	0.00	0.00
13	झारखंड	0.00	0.00	0.00
14	कर्नाटक	2.2734	0.00	13.69000
15	केरल	27.00	0.00	19.79000
16	लद्दाख	0.00	4.5	0.00
17	लक्षद्वीप	9.00	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	0.00	33.75	0.00
19	महाराष्ट्र	16.20	6.70	0.00
20	मणिपुर	12.15	5.40	0.00
21	मेघालय	8.10	4.725	6.80000
22	मिजोरम	0.00	17.54	3.58175
23	नागालैंड	4.05		
24	ओडिशा	5.40	10.80	0.42000
25	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
26	पंजाब	16.20	11.70	30.78000
27	राजस्थान	0.00	21.60	10.18000
28	सिक्किम	4.05	5.40	0.00
29	तमिलनाडु	16.20	28.80	36.19000
30	तेलंगाना	0.35	40.50	0.00
31	त्रिपुरा	12.15	8.10	0.00
32	उत्तर प्रदेश	72.7992	39.4548	0.00
33	उत्तराखंड	12.15	19.575	24.30000
34	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00

ख. एसपीएमआरएम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित वर्ष-वार व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20 में व्यय			वित्त वर्ष 2020-21 में व्यय			वित्त वर्ष 2021-22 में व्यय		
		तालमेल	सीजीएफ	कुल व्यय	तालमेल	सीजीएफ	कुल व्यय	तालमेल	सीजीएफ	कुल व्यय
1	अंडमान और निकोबार	4.03	0	4.03	7.32	1.43	8.75	0	3.13	3.13
2	आंध्र प्रदेश	76.52	28.71	105.23	33.76	16.72	50.48	85.91	6.29	92.2
3	अरुणाचल प्रदेश	15.7	3.6	19.3	9.25	0.73	9.98	86.54	8.63	95.17
4	असम	26.75	0.03	26.78	13.47	3.63	17.1	0	25.05	25.05
5	बिहार	90.16	0	90.16	42.13	13.34	55.47	100.14	17.54	117.68
6	छत्तीसगढ़	184.5	107.93	292.43	153.4	42.76	196.16	236	65.45	301.45
7	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	49.72	1.12	50.84	12.99	1.53	14.52	11.71	1.39	13.1
8	गोवा	0	0	0	28.76	0	28.76	0	0	0
9	गुजरात	15.42	19.83	35.25	326.99	50.74	377.73	356.81	35.41	392.22
10	हरियाणा	143.93	30.09	174.02	114.98	21.12	136.1	174.49	39.07	213.56
11	हिमाचल प्रदेश	2.84	3.74	6.58	52.03	7.07	59.1	54.33	13.2	67.53
12	जम्मू और कश्मीर	22.76	1.05	23.81	6.09	1.27	7.36	1.39	1.89	3.28
13	झारखंड	94.99	3.08	98.07	246.61	27.88	274.49	135.59	36.54	172.13
14	कर्नाटक	72.5	5.5	78	86.68	23.71	110.39	157.7	17.72	175.42
15	केरल	122.41	48.3	170.71	115.04	29.36	144.4	65.64	37.52	103.16
16	लद्दाख	1.11	0	1.11	0	0	0	0	2.48	2.48
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	16.89	0	16.89
18	मध्य प्रदेश	106.75	36.87	143.62	112.77	42.84	155.61	558.47	8.84	567.31
19	महाराष्ट्र	404.41	23.31	427.72	311.21	23.89	335.1	610.59	62.11	672.7
20	मणिपुर	62.6	12.61	75.21	24.4	15.49	39.89	10	0	10
21	मेघालय	3.16	2.7	5.86	4.4	5.81	10.21	6.57	7.16	13.73

22	मिजोरम	7.54	7.96	15.5	59.52	7.95	67.47	17.56	14.3	31.86
23	नागालैंड	2.5	3.55	6.05	0	0.95	0.95	0	0.9	0.9
24	ओडिशा	48.05	34.83	82.88	159.09	38.49	197.58	98.19	6.77	104.96
25	पुदुचेरी	0	2.26	2.26	23	4.58	27.58	9.53	10.29	19.82
26	पंजाब	150.27	31.16	181.43	179.1	40.87	219.97	0	38.56	38.56
27	राजस्थान	274.98	36.58	311.56	225.97	61.03	287	64.45	37.16	101.61
28	सिक्किम	47.36	5.82	53.18	6.66	6.1	12.76	0	4.77	4.77
29	तमिलनाडु	127.37	26.35	153.72	225.09	46.75	271.84	162.35	36.37	198.72
30	तेलंगाना	272.2	60.47	332.67	214.39	50.28	264.67	253.88	50.27	304.15
31	त्रिपुरा	32.22	9.7	41.92	52.41	11.79	64.2	11.76	24.09	35.85
32	उत्तर प्रदेश	163.48	46.77	210.25	199.27	83.24	282.51	429.46	74.12	503.58
33	उत्तराखंड	42.94	6.29	49.23	71.96	31.7	103.66	69.21	23.26	92.47
34	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. डब्ल्यूडीसी- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

क्र.सं.	राज्य	जारी केंद्रीय अंश (रुपए करोड़ में)			
		डब्ल्यूडीसी -पीएमकेएसवाई 1.0		डब्ल्यूडीसी -पीएमकेएसवाई 2.0	
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (31.01.2023 तक)
1	आंध्र प्रदेश	144.39	43.89	45.74	
2	अरुणाचल प्रदेश	55.71	5.80	22.98	70.08
3	असम	49.03	169.26	16.48	54.02
4	बिहार	88.37		112.94	
5	छत्तीसगढ़	47.07		23.012	40.285
6	गुजरात	77.93		25.79	
7	गोवा*	-	-	2.098	
8	हरियाणा	7.13	13.68	3.022	3.02
9	हिमाचल प्रदेश	66.87		8.505	12.86
10	झारखंड	36.77	41.91	27.27	
11	कर्नाटक	21.76	6.162	119.83	48.48
12	केरल	48.77		13.24	
13	मध्य प्रदेश	221.28	84.90	75.03	172.62
14	महाराष्ट्र	103.00		50.08	

15	मणिपुर	1.46		9.24	
16	मेघालय	1.19		60.799	
17	मिजोरम	22.27		7.024	21.42
18	नागालैंड	137.55	3.53	13.62	12.88
19	ओडिशा	83.11	1.75	123.18	
20	पंजाब			3.031	5.30
21	राजस्थान	119.43	449.896	282.56	
22	सिक्किम	2.13		3.15	5.51
23	तमिलनाडु			10.75	21.42
24	तेलंगाना	33.50	60.34	27.60	38.36
25	त्रिपुरा	10.75	11.74	20.30	
26	उत्तराखंड			11.06	19.50
27	उत्तर प्रदेश			21.77	
28	पश्चिम बंगाल	92.87		13.15	
29	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र**		91.21	11.87	
30	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र		6.147		3.80
	कुल	1472.33	990.22	1165.17	529.56

* डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है

** 2020-21 के दौरान जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों के उपयोग का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	128.50	105.69	46.44
2	अरुणाचल प्रदेश	21.45	67.73	25.49
3	असम	90.43	112.56	88.5
4	बिहार	33.84	119.01	33.92
5	छत्तीसगढ़	55.74	71.53	59.9
6	गुजरात	153.00	110.00	15.13
7	हरियाणा	23.20	19.23	19.18
8	हिमाचल प्रदेश	15.41	29.71	44.61
9	झारखंड	28.45	43.21	22.55

10	कर्नाटक	121.13	29.78	10.49
11	केरल	19.30	28.31	47.97
12	मध्य प्रदेश	178.36	308.07	111.88
13	महाराष्ट्र	135.39	87.85	80.81
14	मणिपुर	14.66	6.06	2.07
15	मेघालय	10.31	3.15	0
16	मिजोरम	35.64	1.68	0.3
17	नागालैंड	118.98	39.57	0.00
18	ओडिशा	100.22	157.55	5.82
19	पंजाब	2.54	11.32	2.28
20	राजस्थान	426.60	626.05	100.21
21	सिक्किम	0.38	1.59	0.56
22	तमिलनाडु	87.44	20.48	4.80
23	तेलंगाना	85.16	42.30	115.53
24	त्रिपुरा	17.12	22.580	19.000
25	उत्तर प्रदेश	30.98	0.57	2.07
26	उत्तराखंड	6.43	5.02	0.82
27	पश्चिम बंगाल	59.88	109.36	31.31
28	जम्मू और कश्मीर	22.08	35.79	90.55
29	लद्दाख		1.85	0.22
कुल		2022.62	2217.60	982.406

व्यय में केंद्रीय अंश+ राज्य अंश+ विविध प्राप्ति/उपार्जित ब्याज आदि शामिल हैं।
2019-20 के लिए सूचित व्यय तत्कालीन जम्मू व कश्मीर राज्य और से संबंधित है और
2020-21 के लिए सूचित व्यय केवल जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है।
आंकड़े अलेखापरीक्षित हैं और राज्यों से प्राप्त हुए हैं ।
